राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1172/2013/भीलवाड़ा

मैसर्स संगम पोलीमर्स, भीलवाड़ा। .....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–अ, भीलवाड़ा। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.सी.सोगानी,
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 08.08.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स) भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 08.03.2013 के विरूद्ध पेश की गयी हैं, जो अपील संख्या– 20/वैट/2011–12 के सम्बन्ध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त--अ, भीलवाड़ा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के तहत् निर्धारण वर्ष 2009–10 के लिये पारित निर्धारण आदेश, दिनांक 07.03.2013, के जरिये कायम की गयी कर रू0 3,64,050/– व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशि रू0 1,20,130/– की मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया गया है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एकपक्षीय निर्धारण आदेश पारित कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार कर, प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर कथन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व

लगातार.....2

अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित कर, मांग राशियां कायम की गयी जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 48 एवम् प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन है एवम् नोटिस जारी किये जाने के अभाव में अपीलीय अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किये जाने के अभाव में प्रकरण को प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवायी हेतु नोटिस जारी कर, सुनवायी कर, प्रकरण में पुनः निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है ।

गुणावगुण पर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि से संबंधित वार्षिक विवरणी प्रपत्र वैट–10ए समयाविध में प्रस्तुत कर दिया गया था तथा उक्त अवधि में आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के आदेशानुसार स्वःनिर्धारण योजना की श्रेणी में आने के कारण डीमड एसेसेमेंट होना चाहिये था । इस संबंध में कथन किया कि यदि निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई त्रुटि पायी जाती है तो वे इस संबंध में नियमानुसार सुनवायी हेतु नोटिस जारी कर, अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का अवसर प्रदान कर सकते थे परन्तु प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किये बिना ही प्रस्तुत दस्तावेजों में घोषित विक्रय को अमान्य कर, करारोपण कर दिया गया जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है एवम् उक्त आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में भी विधिक त्रुटि की गयी है । अतः अपने उक्त तर्को के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर पारित अपीलीय आदेश को विधिक होना प्रकट कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवायी हेतु नोटिस जारी करने के अभाव में कायम की गयी मांग राशियों को अपास्त कर, प्रकरण को उचित रूप से निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है । अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । गुणावगुण पर निर्णय से पूर्व विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा उठायी गयी आपत्ति पर विचार किया गया । रिकॉर्ड व अपीलीय आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश से पारित करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी नहीं किया गया है जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 48 व प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का

लगातार.....3

उल्लंघन है । अतः उक्त आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा कायम की गयी मांग राशियों को अपास्त करना विधिसम्मत है । फलवरूप, पारित अपीलीय आदेश जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के संबंध में प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर, निर्देश दिये गये हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर, नियमानुसार करारोपण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है । अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की जाती है।

परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।

8.8.2014
(मदन लाल)
सदस्य